

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III के अंतर्गत एन0एच0—47 से खेड़ा मेघनगर पेटलावद मार्ग के निर्माण/ उन्नयनीकरण हेतु 0.9526 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, झाबुआ को उपयोग पर देने की अनुशंसा जाती है।
----	--	--

तिथि:— 14 / 02 / 2022

स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal